CNR No-UPME010090722026
न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कोर्ट संख्या–20, मेरठ।
उपस्थितिः- अभिषेक उपाध्याय (एच 0 जे0 एस 0)
J.O.Code No. - UP1641
कंप्यूटर रजिस्ट्रेशन संख्या - 3191/2026
नियमित जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 2582/2026
मु०अ०सं०- 89/2022
धारा- 307 भा०दं०सं०
थाना- भावनपुर, जिला मेरठ।

मनीष पुत्र राजवीर सिंह, निवासी ग्राम अब्दुल्लापुर, थाना भावनपुर, जिला मेरठ।

----प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य -----अभियोजक

दिनांक- 03.07.2026

1. यह नियमित जमानत प्रार्थना पत्र आवेदक **मनीष पुत्र राजवीर सिंह** की ओर से उपरोक्त प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहते हुए जमानत प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक की ओर से अभिकथित है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त अभियोग में दिनांक 20.09.2022 से जिला जेल मेरठ में निरुद्ध है तथा यह उसका प्रथम नियमित जमानत प्रार्थना-पत्र है। अभियोगी अंकित चौधरी की लिखित रिपोर्ट पर दिनांक 19.03.2022 को मु०अ०सं० 89/2022 धारा 307 आई०पी०सी० में प्रार्थी के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया। एफ०आई०आर० के अनुसार प्रार्थी, प्रिया के फोन को लेकर हुए विवाद में ग्लोबल सिटी आया तथा पुलिस को सूचना देने की बात पर प्रार्थी द्वारा तमंचे से फायर करने का आरोप लगाया गया, जिससे गोली अभियोगी के सीने को छूकर निकलना बताया गया। प्रथम सूचना रिपोर्ट की कहानी झूठी, मनगढ़न्त एवं काल्पनिक है तथा उपलब्ध तथ्यों से प्रार्थी के विरुद्ध धारा 307 आई०पी०सी० का अपराध नहीं बनता है। घटना का कोई स्वतंत्र गवाह नहीं है तथा कथित अपराध कारित करने का प्रार्थी का कोई उद्देश्य/मोटिव नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट, धारा 161 सीआर०पी०सी० के बयान एवं मेडिकल रिपोर्ट आपस में मेल नहीं खाते हैं। कथित चोटें फायर आर्म्स की प्रतीत नहीं होतीं तथा एक्स-रे में कोई फैक्चर नहीं पाया गया है। इसी अभियोग में प्रार्थी का अग्रिम जमानत प्रार्थना-पत्र सं० 2160/2022 माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा आदेश दिनांक 17.05.2022 को स्वीकार किया जा चुका था, जिसके आधार पर भी प्रार्थी जमानत पर रिहा किये जाने का अधिकारी है। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, पूर्व में सजायाफ्ता नहीं है तथा अपनी जमानत देने को तैयार है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा करने की कृपा की जाये।

3. संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि वादी अंकित चौधरी पुत्र मुकेश चौधरी निवासी 77, यादगारपुर मेरठ द्वारा दिनांक 19.03.2022 को थाना भावनपुर पर तहरीर दी गयी कि वादी D.S.A. HDFC Bank में कार्य करता है तथा उसके साथ प्रिया पुत्री ईश्वर चन्द निवासी हस्तिनापुर, भीमनगर मेरठ भी D.S.A. HDFC में कार्य करती है। प्रिया की पूर्व से मनीष पुत्र राजवीर निवासी अब्दुल्लापुर, थाना भावनपुर से जान–पहचान थी। दिनांक 19.03.2022 को मनीष व प्रिया तेजगढ़ी पर

आपस में बातचीत कर रहे थे, जिसके बाद मनीष प्रिया का फोन लेकर चला गया तथा फोन वापस देने हेतु ग्लोबल सिटी बुलाया। जिस पर प्रिया, वादी अंकित चौधरी व विशाल राघव ग्लोबल सिटी पहुँचे। मनीष के न आने पर प्रिया द्वारा 112 नम्बर पर पुलिस को सूचना दी गयी। आरोप है कि इसके पश्चात मनीष वहाँ आया और पुलिस को सूचना देने की बात कहते हुए अपने हाथ में लिये तमंचे से जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया, जिसकी गोली वादी के सीने को छूते हुए निकल गयी तथा मनीष मौके से भाग गया। वादी द्वारा अपना मेडिकल कराकर रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया गया। तहरीर में मनीष का मोबाइल नम्बर 9557808809 तथा वादी अंकित चौधरी का मोबाइल नम्बर 7830361875 अंकित किया गया।

4. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्कों में यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त एक सीधा–सादा निर्दोष व्यक्ति है। उसे इस मुकदमे में गलत तरीके से झूठा फंसाया गया है। घटनाक्रम का कोई स्वतंत्र साक्षी नहीं है। घटनाक्रम को कारित करने में प्रार्थी का कोई मोटिव नहीं है। मैडिकल आख्या घटनाक्रम को समर्थित नहीं करती है क्योंकि जिस तरीके की चोटें मैडिकल आख्या में बतायी जा रही है वो गोली से आना संभव नहीं है। एक्सरे में कोई भी फ्रेक्चर चुटहिल को नहीं आया है। अभियुक्त दिनांक 20.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त के आपराधिक पृष्ठभूमि मु०अं०सं० 190/2022 इस मुकदमे के अलावा अभियुक्त पर लंबित थी परंतु उपरोक्त मु०अं०सं० में अभियुक्त दोषमुक्त हो चुका है। अभियुक्त को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अपने आदेश दिनांकित 17.05.2022 में अग्रिम जमानत प्रदान की जा चुकी है परंतु अभियुक्त द्वारा दूसरे मुकदमे में गिरफ्तार होने के कारण पुलिस द्वारा इस मुकदमे में भी वारण्ट बना दिया गया था और जिस कारण अभियुक्त बंधपत्र प्रस्तुत नहीं कर सका। अभियुक्त सक्षम जमानत देने को तैयार है तथा उसे यदि जमानत पर छोड़ दिया जाता है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ या न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाने की कोशिश नहीं करेगा। इस परिस्थिति में बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त की नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार करने की कृपा करें।

5. अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने मौखिक तर्कों में यह अभिकथित किया गया कि अभियुक्त एक शातिर किस्म का आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। अभियुक्त द्वारा दिन दहाड़े वादी मुकदमा के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था। अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अभिकथित किया गया कि घटनाक्रम में अभी साक्ष्य अंकित हो रहे हैं तथा यदि इस स्तर पर अभियुक्त को जमानत दे दी जाती है तो वह साक्ष्यों से छेड़छाड़ या न्यायालय की क्षेत्राधिकारिता से बाहर जाने की कोशिश कर सकता है। इस परिस्थिति में अभियोजन के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय से अनुरोध किया गया कि अभियुक्त की नियमित जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त करने की कृपा की जाए।

6. उभय पक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

7. पत्रावली के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त मनीष पुत्र राजवीर सिंह के ऊपर थाना भावनपुर द्वारा अपराध अंतर्गत धारा 307 भा०दं०सं० का अभियोग अधिरोपित किया गया है। अभियोजन द्वारा उपरोक्त घटना सघन इलाके में कारित होना बताया गया है परंतु घटना का कोई साक्षी अभियोजन द्वारा नहीं अभिकथित किया जा रहा है। घटनाक्रम में आरोपपत्र न्यायालय में प्रेषित किया

जा चुका है। अभियुक्त दिनांक 20.09.2022 से जिला कारागार में निरूद्ध है। अभियुक्त का घटना कारित करने में प्रथम दृष्ट्या कोई मोटिव नहीं प्रतीत हो रहा। वादी मुकदमा के शरीर पर जो चोटें बतायी जा रही है वो गोली से आना संभव नहीं है। पूर्व में अभियुक्त को दिनांक 17.05.2022 को माननीय जनपद न्यायाधीश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गयी थी परंतु बंधपत्र न जमा करने के कारण अभियुक्त को इस मुकदमे में रिमाण्ट बनाकर जिला कारागार प्रेषित कर दिया गया। घटनाक्रम में अभियोजन द्वारा 13 गवाह बताये जा रहे है तथा इतनी जल्दी उपरोक्त पत्रावली के निस्तारण होने का आसार नहीं प्रतीत होता। अभियुक्त सक्षम जमानत देने को तैयार है।

8. इस परिस्थिति में बिना वाद के गुण-दोष पर अभिमत व्यक्त किए अभियुक्त मनीष पुत्र राजवीर सिंह की नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

अभियुक्त **मनीष पुत्र राजवीर सिंह** की ओर से **मु०अं०सं० 89/22, धारा 307 भा०दं०सं०, थाना भावनपुर, जिला मेरठ** के प्रकरण में प्रस्तुत नियमित जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है।

अभियुक्त द्वारा **1,00,000/– रूपये** का निजी बंधपत्र तथा समान धनराशि के 2 प्रतिभू दाखिल करने पर न्यायालय की संतुष्टि पर उसे निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाता है:–

1. यह कि वह न्यायालय की अपेक्षानुसार नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित आयेगा अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होगा एवं अभियोजन की ओर से उपस्थित साक्षियों से जिरह करेगा तथा साक्ष्य में सहयोग करेगा।
2. यह कि वह समान प्रकृति का कोई अपराध नहीं कारित करेगा।
3. यह कि वह दौरान विचारण देश की सीमा से बाहर नहीं जायेगा।
4. यह कि वह अभियोजन साक्षियों को न तो तोड़ेगा और न ही अपने पक्ष में साक्ष्य देने के लिये कोई उत्प्रेरणा, वचन व धमकी या प्रलोभन देगा। आदेश की एक प्रति email द्वारा संबंधित कारगार को भेजा जाये।

दिनांक– 03.07.2026

(अभिषेक उपाध्याय)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट संख्या–20, मेरठ।
J.O. Code – U.P. 1641

Digitally signed by ABHISHEK UPADHYAYA
Date: 2026.07.03 17:03:31 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court